न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 31 / 2023

श्री मथुरा लाल मीना निवासी ग्राम कुण्डिया पो0 खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 9.10.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा को आवेदन पत्र दिनांक 1.07.2023 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

1 उपखण्ड अधिकारी कार्यालय उनियारा जिला टोंक द्वारा पत्थर गडी आदेश की सम्पूर्ण सत्य प्रतिलिपियॉ खसरा न. 329 देने बाबत्।

2 श्रीमान जी आपके यहॉ आदेश प्रतिलिपि उपलब्ध नही तो आदेश मिलने पता देने की कृपा करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा को पत्र कमांक 788 दिनांक 16.08.2023, 850 दिनांक 04.09.2023, 863 दिनांक 18.09.2023 व 890 दिनांक 4.10. 2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना / सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(डॉ. ओमप्रकाश बैरवा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर टोंक